मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2220

05.08.2024 को उत्तर के लिए

पट्टे पर दी गई वन भूमि

2220. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या ***पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वन भूमि का महाराष्ट्र राज्य सहित राज्य-वार कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) संबंधित अधिकारियों द्वारा वन अथवा गैर-वन संबंधी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों/संस्थाओं/न्यासों/कंपनियों/वन संस्थाओं को पट्टे पर दी गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यक्तियों/संगठनों अथवा कंपनियों के अनाधिकृत या अवैध कब्जे में कुल वन भूमि के क्षेत्रफल का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून जो इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक संगठन है, देश के वनावरण का द्विवार्षिक रूप से मूल्यांकन करता है और इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किए जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2021 के अनुसार, देश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र राज्य सहित सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध** के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग): भूमि राज्य का विषय है। अत: वन क्षेत्रों और उनकी कानूनी सीमाओं का निर्धारण और अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन द्वारा किया जाता है। तदनुसार, वन भूमि को पट्टे पर देने अथवा आबंटित करने का अंतिम निर्णय संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, वन (संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980) के अंतर्गत, वनेतर प्रयोजनों के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करने के लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, वनों की सुरक्षा और प्रबंधन का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का होता है जो भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 और इसके अंतर्गत बनाए गए अन्य राज्य विशिष्ट कानूनों और नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वन भूमि के अनधिकृत/अवैध कब्जे को हटाने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

अनुबंध

"पट्टे पर वन भूमि" के संबंध में दिनांक 05.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए श्री बलवंत बसवंत वानखड़े द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2220 के भाग (क) से संदर्भित अनुबंध						
आईएसएफआर-2021 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दर्ज वन क्षेत्र (आरएफए)						
(क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में)						
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**भौगोलिक क्षेत्र (जीए)**	**आरएफए (विभिन्न श्रेणियों में)**			**कुल आरएफए (2021)**
			आरक्षित वन	**संरक्षित वन**	**अवर्गीकृत वन***	
1	आंध्र प्रदेश	1,62,968	31,959	5,069	230	37,258
2	अरुणाचल प्रदेश	83,743	12,371	11,857	27,312	51,540
3	असम	78,438	17,864	0	8,972	26,836
4	बिहार	94,163	693	6,183	566	7,442
5	छत्तीसगढ	1,35,192	25,897	24,036	9,883	59,816
6	दिल्ली	1,483	78	25	0	103
7	गोवा	3,702	119	755	397	1,271
8	गुजरात	196,244	14,574	2,898	4,398	21,870
9	हरियाणा	44,212	249	1,158	152	1,559
10	हिमाचल प्रदेश	55,673	1,883	28,887	7,178	37,948
11	झारखंड	79,716	4,500	18,922	1,696	25,118
12	कर्नाटक	191,791	28,690	3,931	5,663	38,284
13	केरल	38,852	11,522	0	0	11,522
14	मध्य प्रदेश	3,08,252	61,886	31,098	1,705	94,689
15	महाराष्ट्र	3,07,713	50,865	6,433	4,654	61,952
16	मणिपुर	22,327	984	3,254	13,180	17,418
17	मेघालय	22,429	1,113	12	8,371	9,496
18	मिजोरम	21,081	4,499	1,823	1,157	7,479
19	नगालैंड	16,579	234	0	8,389	8,623
20	ओडिशा	1,55,707	36,049	25,133	22	61,204
21	पंजाब	50,362	44	1,137	1,903	3,084
22	राजस्थान	3,42,239	12,176	18,543	2,144	32,863
23	सिक्किम	7,096	5,452	389	0	5,841
24	तमिलनाडु	1,30,060	20,523	1,053	1,612	23,188
25	तेलंगाना	1,12,077	25,800	1,592	296	27,688
26	त्रिपुरा	10,486	3,588	2	2,704	6,294
27	उत्तर प्रदेश**	2,40,928	11,560	296	5,528	17,384
28	उत्तराखंड	53,483	26,547	9,885	1,568	38,000

29	पश्चिम बंगाल	88,752	7,054	3,772	1,053	11,879
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8,249	5,613	1,558	0	7,171
31	चंडीगढ़	114	32	0	3	35
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	602	203	5	6	214
33	जम्मू और कश्मीर — आकार फ़ाइल क्षेत्र*** (54,624)	2,22,236	17,648	2,551	0	20,199
34	लद्दाख — आकार फ़ाइल क्षेत्र*** (1,68,055)		7	0	0	7
35	लक्षद्वीप	30	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	490	0	2	11	१३
कुल		**32,87,469**	**4,42,276**	**2,12,259**	**1,20,753**	**7,75,288**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वन विभाग

* अवर्गीकृत वन में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों द्वारा सूचित आरक्षित वन और संरक्षित वन के अलावा सभी वन शामिल हैं।

**उत्तर प्रदेश के मामले में, आरएफए में सड़क, रेलवे लाइन और नहर के किनारे 9,662.764 किमी रैखिक वृक्षारोपण को शामिल नहीं किया गया है।

***भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षेत्र आकार फ़ाइल (अगस्त, 2021)। भारतीय सर्वेक्षण विभाग से अलग-अलग संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों की प्रतीक्षा है।

*****